समक्ष अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्र. —/015

निगरानी 259-PBR-15

1. हनीफ उर्फ दुलारे आत्मज रसीद अहमद आयुवयस्क
निवासी—मकान नं. 63 सुभाष नगर फूटा मकबरा
छोला रोड़ भोपाल म.प्र.

2. रसीद अहमद उर्फ नबाव मियां आयु लगभग 60 वर्ष
आत्मज अब्दुल वहीद
निवासी—म.नं. 63 सुभाष नगर फूटा मकबरा
छोला रोड़ भोपाल म.प्र. ———— आवेदकगण

विरूद्व

गेंदालाल श्रीवास्तव आत्मज श्री श्यामलाल श्रीवास्तव
आयुवयस्क
निवासी—ई, 311 न्यू मीनाल कालोनी जे.के रोड
भोपाल म.प्र. ———— अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र भू—राजस्व संहिता 1959।

आवेदकगण की ओर से माननीय अपर आयुक्त महोदय जिला भोपाल द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 250/अपील/2014—15 पक्षकार हनीफ उर्फ दुलारे एक अन्य विरूद्व गेंदालाल श्रीवास्तव में पारित आदेश दिनांक 20.01.2015 से व्यथित होकर निम्न वैधानिक तथ्यों एवं आधारों पर श्रीमान के समक्ष निगरानी प्रस्तुत है:—

निगरानी के तथ्य

1. यह कि संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदक के द्वारा जनसुनवाई में एक झूठी शिकायत आवेदकगण के विरूद्व की थी कि आवेदकगण अवैध रूप से कालोनी बेंचने व एक प्लाट को कई जगह बेंचने एवं गुंडागर्दी करने बाबत् दण्डित किया जावे। उक्त शिकायत अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त हुई। जो कि जनसुनवाई संख्या क्र. 22999 है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त शिकायत को प्रकरण क्र. 115/बी—121/2013—14 के मद में दर्ज करते हुए आवेदकगण को सूचित किया गया था। आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2014 को उपस्थित हुए थे और अधीनस्थ न्यायालय ने उनकी उपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण राजस्व निरीक्षक को तलब करने बाबत् दिनांक 28.02.2014 की तारीख नियत की गई थी दिनांक 28.02.2014 को आवेदकगण के द्वारा अपने साथ अधिवक्ता श्री एम.एल.रघुवंशी को प्रकरण में पैरवी करने बाबत् वकालतनामे के साथ उपस्थित हुए परंतु माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया और पुनः राजस्व निरीक्षक महोदय को मय रिकार्ड के तलब करने बाबत् दिनांक 04.03.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 259 –पीबीआर/15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
29–1–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20–1–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध धोखाधड़ी सिद्ध पाते हुए पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्थगन दिया जाना अनुकूल प्रतीत नहीं होता है, आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	